



2026:AHC:65885

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या- 7235 वर्ष 2026

विनोद बाइंड आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: वेद प्रकाश राय, महताब हुसैन

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता, सीमा पांडे

न्यायालय सं - 65

(क्रम संख्या-72 बाहर वर्ष 294)

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची को संशोधित किया गया है।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री वेद प्रकाश राय और सूचनाकर्ता के अधिवक्ता श्री राम बली राम, उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति के अधिवक्ता सुश्री सीमा पांडे के साथ-साथ राज्य के विधि अधिकारी श्री आर.पी. पटेल को सुना और अभिलेखों पर रखी गई सामग्री का भी अवलोकन किया।
3. आवेदक केस अपराध संख्या-957 वर्ष 2025 में बी.एन.एस. की धारा 137(2), 87, 65(1), 351(3) और पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4, थाना-कोतवाली, जिला - गाजीपुर के तहत मुकदमे के लंबित रहने के दौरान ज़मानत मांगता है।
4. आवेदक के अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक पूरी तरह से निर्दोष है और उसे प्रस्तुत मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। उसका उक्त अपराध से कोई लेना-देना नहीं है जैसा कि प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है। प्राथमिकी में लगभग तीन दिन की देरी हुई है और उक्त देरी का कोई स्पष्टीकरण नहीं है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. अधिवक्ता ने यह भी कहा है कि पीड़िता सहमति देने वाली पक्ष है, जैसा कि धारा 183 बी.एन.एस.एस. के तहत दर्ज किए गए उसके बयान से स्पष्ट है क्योंकि उसने आवेदक के साथ वाराणसी और दिल्ली सहित कई स्थानों की यात्रा की है, लेकिन उसने उक्त प्रवास के दौरान कोई अलार्म नहीं उठाया है। आगे यह कहा गया है कि पीड़िता अपने लुक से बड़ी लगती है, हालांकि ऑसिफिकेशन टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, उसकी उम्र 14 से 16 वर्ष के बीच आई है, इस प्रकार, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के आलोक में आवेदक को दो साल का लाभ दिया जा सकता है। घटना की कोई चिकित्सकीय पुष्टि नहीं हुई है।

6. अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि आवेदक 13.12.2025 से जेल में बंद है, जिसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, वह जमानत पर रिहा होने का हकदार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे में सहयोग करेगा।

7. तत्स्य विपरीत, राज्य विधि अधिकारी, उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति के अधिवक्ता और सूचनाकर्ता के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का जोरदार विरोध किया है, लेकिन आवेदक के अधिवक्ता द्वारा उठाए गए प्रस्तुतियों और इस तथ्य पर भी विवाद करने में असमर्थ हैं कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

8. पीड़ित की उम्र के संबंध में, जया माला बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य, (1982) 2 एस.सी.सी. 538 और मो. इमरान खान बनाम राज्य (दिल्ली सरकार), (2011) 10 एस.सी.सी. 192, जिसके तहत यह राय दी गई है कि रेडियोलॉजिस्ट जन्म की सही तारीख की भविष्यवाणी नहीं कर सकता है, बल्कि दोनों तरफ 1 से 2 साल का लंबा अंतर है।

9. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पक्षों के अधिवक्ता द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ, अपराध की प्रकृति, सजा की गंभीरता, सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय और प्राथमिकी दर्ज करने में देरी पर विचार करते हुए और पीड़िता के बयान को धारा 183 बी.एन.एस.एस. के तहत दर्ज किया गया, जो उसकी सहमति की ओर इंगित करता है कि घटना की कोई चिकित्सा पुष्टि नहीं है, प्रथम दृष्टया मुझे आवेदक को



ज़मानत पर रिहा करना एक उपयुक्त मामला लगता है। ज़मानत आवेदन की अनुमति है।

10. आवेदक विनोद बिंद को संबंधित अदालत की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और दो ज़मानतदार प्रस्तुत करने पर ज़मानत पर रिहा किया जाए, ज़मानतदारों के सत्यापन के अधीन, इस शर्त के साथ कि वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा या गवाहों को डराएगा नहीं और आवश्यकतानुसार विचारण न्यायालय के समक्ष पेश होगा।

11. किसी भी शर्त के उल्लंघन पर ज़मानत रद्द की जाएगी। यहां टिप्पणियां गुण-दोष के आधार पर मुकदमे को प्रभावित नहीं करेंगी।

मार्च 30, 2026

सिद्धांत

(कृष्ण पहल)